

राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, राज. जयपुर
क्रमांक: एफ.14()कैम्पा/अप्रमुवसं/लेखा/व.आ./मिटिगेटिव मेजरर्स/2022-23/ 4541 दिनांक 16/06/2022

बजट आवंटन आदेश-27

वर्ष 2022-23 के स्वीकृत APO के अर्न्तगत स्टेट कैम्पा योजना में ए.पी.ओ. आईटम संख्या -11 Mitigative Measures (Forest Clearance of NH-76 Kota- Chittorgarh) मद के अर्न्तगत अधीनस्थ वन मण्डलों को IFMS के माध्यम से निम्नानुसार मद में बजट आवंटन किया जाता है :-

2406-04-103-04-01-12

2406- Forest & wildlife

04- Afforestation and Ecology Development

103- State Compensatory Afforestation (SCA)

(04)- Net Present Value of Forest Land

(01)- Compensatory Afforestation

12 - Grant in Aid (Other than Salary)

APO Item no. 11 : Mitigative Measures (Forest Clearance of NH-76 Kota- Chittorgarh)

Amount in lacs

S.NO.	Name of Division	APO Item	Activity	Phy. Targets/ Ha./ No./ RMT	Unit Rate	Allotted Amount	
1	उप वन संरक्षक, कोटा	Cost of permanent fencing & developing green belt up to 1 KM. of the bypass road forest land should be included in the cost of bypass project apart from the CA and other cost (1.5 meter high stone wall)		5946.000	0.0285	169.46100	
		Plantation activity (For mitigative measures area only)	i) New advance action (ha)	700.000	0.87900	615.30000	
			ii) planting year(1st year)	480.000	0.26280	126.14400	
			iii) 2nd year Maintenance (ha)	250.000	0.21190	52.97500	
			iv) 3rd year maintenance (ha)	250.000	0.16950	42.37500	
			v) 4th year maintenance (ha)	200.000	0.12710	25.42000	
		महा योग					1031.67500

सामान्य शर्तें:

- 1 इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ.14()ए.पी.ओ./2022-23/कैम्पा/अप्रमुवसं/2915-27 दिनांक 18.05.2022 में वर्णित शर्तों की अनुपालना किया जाना सुनिश्चित हो।
- 2 कार्य स्थल का चयन मिटिगेटिव मेजरर्स में अधिरोपित शर्तों के अनुसार पर ही किया जावे एवं स्थल चयन के उपरांत उनके नाम एवं अक्षांश एवं देशान्तर संख्या भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।
- 3 आवंटित बजट का व्यय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार मिटिगेटिव मेजरर्स कार्यों पर किया जावें।
- 4 आवंटित बजट से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावें।
- 5 उक्त आवंटन के विरुद्ध यदि किसी राशि का उपयोग संभव नहीं हो तो राशि यथा समय पर इस कार्यालय को मय औचित्य समर्पित कर दी जावें।
- 6 उक्त आवंटित बजट की राशि का आहरण केवल तभी किया जाये जब स्वीकृत कार्य से संबंधित व्यय का भुगतान किया जाना हो क्योंकि स्टेट कैम्पा का अकाउन्ट ब्याज बियरिंग है।
- 7 राशि जिस उद्देश्य/कार्य के लिए आवंटित की गई है उसी उद्देश्य/कार्य के लिये नियमानुसार व्यय की जावें तथा इसमें से प्रशासनिक व्यय नहीं किया जावें।

- 8 नये पक्के निर्माण कार्य मुख्य वन संरक्षक, से कार्यालय के अनुमोदन उपरान्त ही करावें।
- 9 कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी की जावे। समस्त कार्यों के लेखा एवं अन्य रिकॉर्ड **Manual of Guidelines and Accounting procedures relating to State CAMPA** एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुरूप कैम्पा का लेखा कार्पोरेट अकाउंटिंग के आधार पर सीएजी द्वारा प्रेषित प्रपत्रों में संधारित करें। लेखों के आडिट महालेखाकार द्वारा की जावेगी।
- 10 उप वन संरक्षक प्रत्येक माह की 5 तारीख तक व्यय का मासिक लेखा अपने नियंत्रक अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे।
- 11 संबंधित मुख्य वन संरक्षक उनके अधीन वन मण्डलों से 5 तारीख तक लेखा प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह की 10 तारीख तक समस्त वन मण्डलों के लेखे संकलित कर भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्रों में अधोहस्ताक्षर कर्ता को भेजना सुनिश्चित करेंगे तथा कैम्पा अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के रजिस्टर का संधारण कार्यालय मुख्य वन संरक्षक स्तर पर भी कराया जावे।
- 12 बजट उपयोग के संबंध में समय-समय पर इस कार्यालय द्वारा प्रसारित समस्त निर्देशों की पालना की जावे।
- 13 विकास कार्य केवल उन्हीं पंचायत समितियों में संपादित किये जावें जहां अन्य योजनाओं के इसी प्रकार के कार्य प्रस्तावित नहीं हों, जिससे योजनाओं में परस्पर **Overlapping** से बचा जा सकें।
- 14 कैम्पा मद में सामग्री क्रय की कार्यवाही राज. लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 व नियम, 2013 के तहत की जावेगी तथा क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज विभागीय स्टोर पंजिका में किया जावे एवम् विभाग की प्रचलित पद्धति अनुसार लेखा-जोखा रखा जावेगा।
- 15 नये कार्य स्थलों की सूची मय GPS Coordinates के ई-ग्रीनवॉच पोर्टल पर अपलोड करना तथा सूचना भिजवाना सुनिश्चित किया जावे।
- 16 इन्टर प्रिटेसन सेन्टर का निमाण मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर, भारतीय वन्य जीव संस्थान के निर्देशों के क्रम में कराया जावे।
- 17 इस परियोजना अन्तर्गत वृक्षारोपण हेतु साइट स्पेसिफिक तकमीना तैयार कर पौधारोपण कार्य कराया जाए।
- 18 जिन वन विकास कार्यों में वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत पुर्वानुमति आवश्यक है उन कार्यों को नियमानुसार पुर्वानुमति प्राप्त कर कार्य प्रारंभ करें।

Shikha
(शिखा मेहरा)

o/c अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ.14()कैम्पा/अप्रमुवस/लेखा/व.आ./मिटिगेटिव मेजर्स/2022-23/ 4542-49

दिनांक 16/06/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
- 2 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) राजस्थान, जयपुर।
- 3 मुख्य वन संरक्षक - कोटा को प्रेषित कर लेख है कि समय-समय पर कैम्पा के कार्यों का निरीक्षण करें एवं राशि जिस कार्य हेतु आवंटित की जा रही है उसी कार्य पर व्यय किया जाना तथा वांछित रिकॉर्ड पूर्ण करवाना भी सुनिश्चित करवायें।
- 4 उप वन संरक्षक, कोटा।
- 5 सहा. सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय हाजा (CAMPA) को मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन में संकलन किये जाने हेतु।
- 6 कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय हाजा को आई.एफ.एम.एस पर बजट अपलोड करने बावत।
- 7 सूचना सहायक कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 8 रक्षित पत्रावली।

o/c

(आर्किषा जोशी)
उप वन संरक्षक (कैम्पा),
राजस्थान, जयपुर।